web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

SJU Govt. Registered Social Justice Union

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 23 फरवरी 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 147

महत्वपूर्ण एवं खास

यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : भारत

न्यूयॉर्क। भारत ने कहा है कि यूक्रेन-रूस सीमा पर तनाव बढ़ने से क्षेत्र की सुरक्षा और शांति भंग होने की संभावना है इसलिए यूक्रेन में 20 हजार से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की सोमवार को आयोजित बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जोर दिया और कहा , अपने नागरिकों की भलाई हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 20 हजार से अधिक भारतीय नागरिक और छात्र यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और अध्ययन करते हैं।

पन्ना में हीरे की खदान से मिला युवक को नायाब हीरा

पन्ना (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की रत्नगर्भा धरती से एक युवक को कीमती हीरा मिला है। हीरा खदान से जैम चलिटी की 26 11 कैरेट का हीरा सुशील शुक्ला को मिला है। सुशील शुक्ला को नायाब हीरा कृष्णकल्याणपुर उथली खदान क्षेत्र में 21 फरवरी को मिला है और इसे उन्होंने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी से होने वाली नीलामी में इस हीरे को भी रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि नीलामी में हीरे की बिक्री होने पर शासन की रायल्टी काटने के बाद शेष राशि हीरा धारक को प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि उथली हीरा खदानों में मिलने वाले बड़े हीरों में अब तक का यह चौथा बड़ा हीरा है। इससे पहले तकरीबन 60 वर्ष पूर्व सबसे बड़ा 44.33 कैरेट वजन का हीरा वर्ष 1961 में मिला था। इसके बाद एक मजदूर को 2018 में 42 कैरेट 59 सेंट वजन का नायाब हीरा मिला था। इसी तरह वर्ष 2019 में 29.46 कैरेट वजन का हीरा मिला था।

केंद्र का बड़ा ऐक्शन, खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के ऐप्स और वेबसाइट ब्लॉक

नई दिल्ली (आरएनएस)। खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा ऐक्शन लिया है। सरकार ने सिख्स फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने का आदेश दिया है। मिनिस्ट्री का कहना है, इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया है कि यह चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर अशांति पैदा करने का प्रयास करता रहा है। इसके चलते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का फैसला लिया था। सिख्स फॉर जस्टिस नाम के संगठन पर अलगाववादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। कुछ वक्त पहले लुधियाना कोर्ट में हुए बम धमाके में भी इसी संगठन का नाम शामिल आया था। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक के मामले में भी यह संगठन चर्चित हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक से जुड़े केस के वकीलों को इस संगठन की ओर से धमकी दिए जाने की बात सामने आई थी। वहीं नहीं इस संगठन का नाम ब्रिटेन समेत कई देशों में खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम कराने के मामले में भी सामने आया था।

राम रहीम को हरियाणा पुलिस ने दी जेड प्लस सुरक्षा, खालिस्तानियों से है जान का खतरा

चंडीगढ़ (आरएनएस)। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल पर जेल से रिहा होने पर जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं से उनकी जान को खतरा बताया गया है। इसी महीने की शुरुआत में उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया था। अब उन्हें शीर्ष स्तरीय सुरक्षा कवर देने का हरियाणा सरकार का फैसला आया है। पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और दो डेरा शिष्यों के बलात्कार के मामले में वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से 21 दिन की छुट्टी पर 7 फरवरी को रिहा किया गया था। इस मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने 2017 में राम रहीम को दोषी ठहराया था।

तीन अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 19 की मौत, 6 घायल

देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड में पिछले 12 घंटों में तीन अलग-अलग सड़क हादसों में 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और छह अन्य घायल हो गए हैं।सूखीढांग-डांडा-मीडार (एसडीएम) रोड में सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे बारातियों से भरी मैक्स जीप 500 मीटर गहरी खाई में समा गई। हादसे में चार महिलाओं समेत 14 बारातियों की मौके पर मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल वाहन चालक को जिला अस्पताल और एक अन्य यात्री को टनकपुर में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया है। पुलिस ने तड़के से राहत और बचाव अभियान चलाया। हादसे की वजह चालक का वाहन से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। मृतकों में सात पुरुष, पांच महिला, 15 वर्षीय एक किशोर और चार वर्षीय मासूम बालिका शामिल है।

वाहन में कुल 16 लोग सवार थे। बारात टनकपुर से वापस ककनई गांव लौट रही थी। एसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि सूखीढांग के ककनई गांव निवासी मनोज सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह की बारात सोमवार को पंचमुखी धर्मशाला टनकपुर गई थी। बारात में मैक्स वाहन संख्या यूके 04- 4712 भी शामिल थी।

उन्होंने बताया कि वापसी के दौरान रात करीब साढ़े दस बजे मैक्स वाहन सूखीढांग से 25 किमी दूर डेकढ़ुंगा नामक स्थान पर करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में वाहन में सवार सात पुरुष, पांच महिला, 15 वर्षीय एक किशोर और चार साल की बच्ची की मौके पर मौत हो गई। वाहन चालक प्रकाश राम और एक अन्य यात्री त्रिलोक राम घायल हो गए।

घायल चालक ने बामुश्किल दो बजे के करीब फोन से घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने घटना की सूचना जिला प्रशासन को दी। मंगलवार तड़के चार बजे से पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव अभियान चलाया। डीएम विनीत तोमर और एसपी ने मौके पर पहुंच कर निर्देश दिए। दुर्घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया है।

जबकि, दूसरा सड़का हादसा पौड़ी जिले में हुआ है। कोटद्वार से स्कूल जा रहे शिक्षकों का वाहन खाई में गिरने से दो शिक्षिकाओं समेत एक शिक्षक की मौत हो गई। जबकि दुर्घटना में घायल अन्य दो लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह राजकीय इंटर कॉलेज सारी में नियुक्त शिक्षक पदमपुर कोटद्वार निवासी जयवीर सिंह अपनी कार से स्कूल जाने के लिए निकले थे।

उनके साथ विद्यालय में नियुक्त दीपक शाह, पूनम रावत, वंदना भण्डारी और अरुण भी थे। नेशनल हाइवे पर दुगड्डा से कुछ दूर क्रेंखाल के निकट अचानक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और आसपास के लोगों ने किसी तरह से घायलों को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया।

जहां चिकित्सकों ने 42 वर्षीय गणित विषय की शिक्षिका पूनम रावत पत्नी प्रद्युमन रावत निवासी मानपुर, 40 वर्षीय गणित विषय की शिक्षिका वंदना भंडारी पत्नी नरेंद्र भंडारी निवासी मानपुर और 38 वर्षीय अर्थशास्त्र के प्रवक्ता दीपक शाह पुत्र उत्तम सिंह निवासी शिवपुर को मृत घोषित कर दिया।

जबकि कार चला रहे शिक्षक जयवीर सिंह और विद्यालय के क्लर्क अरूण का कोटद्वार के बेस अस्पताल में उपचार चल रहा है। तहसीलदार विकास अवस्थी ने बताया कि अस्पताल में भर्ती घायलों ने जानकारी दी कि कार का स्टेयरिंग लॉक हो गया था जिस कारण हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही राहत व बचाव का कार्य शुरू किया गया।

उत्तराखंड में तीसरा सड़क हादसा, ऋषिकेश-बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ है। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में ऋषिकेश-बदरीनाथ हाइवे पर ब्रह्मपुरी के पास एक कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि कार हादसे में दो घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया।जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मुनिकीरेती थाना पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह 11.30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक कार ब्रह्मपुरी के पास खाई में गिरी है। हादसे की सूचना पर तत्काल एसडीआरएफ और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ के जवानों ने हादसे में घायलों और मृतकों को खाई से बाहर निकाला। मुनिकीरेती थाना निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि कार में चार लोग सवार थे। दुर्घटना में कार सवार संजीव सजवाण 40 पुत्र रणवीर सिंह सजवाण निवासी बैरागणी,कमांद, चंबा, टिहरी और रामदयाल 52 पुत्र बुद्धि दास निवासी चमोल गांव, नरेंद्रनगर, टिहरी गढ़वाल की मौके पर मौत हो गई है। जबकि हादसे में विकास भट्ट 30 पुत्र पूर्णानंद भट्ट निवासी बौराई गांव गूलर, रीना पंवार 20 पुत्री चतर सिंह निवासी ग्राम चमेली घायल हो गए। जिन्हें पुलिस ने 108 एंबुलेंस से ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में पहुंचाया। एम्स में घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं मृतकों के शव को पीएम के लिए एम्स भेज दिया है।

मथुरा जिला जेल में हुई गैंगवार के सभी 14 आरोपी बरी, सात साल न्यायालय में चला मामला

मथुरा (आरएनएस)। जनपद मथुरा के जिला कारागार में 17 जनवरी 2015 को हुई गैंगवार के सभी 14 आरोपियों को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की कोर्ट ने बरी कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता सूर्य वीर सिंह ने बताया कि दो गुटों में 17 जनवरी 2015 को जिला कारागार मथुरा में गैंगवार हुआ था। इस घटना में अक्षय सोलंकी की मौके पर ही मौत हो गई थी और जो राजेश टोटा घायल हुआ था। उसको इलाज के लिए ले जाते समय उसकी बदमाशों ने हत्या कर दी थी, उसका मामला अलग दर्ज किया गया था। अक्षय सोलंकी के मर्डर का ट्रायल हो रहा था। जेल के जितने भी पुलिसकर्मी थे जो जेल का स्टाफ था उसमें सभी पक्ष बिरोही हो गए थे, केवल सिविल पुलिस ने ही गवाही दी थी ,माननीय न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है. सभी 14 मुजरिम दोषमुक्त हुए हैं। जिला कारागार में हुई गैंगवार में आगरा का कुख्यात अपराधी अक्षय सोलंकी मारा गया थां जबकि राजेश टोटा समेत तीन लोग घायल हुए थे। उसी रात उपचार के लिए पुलिस अभिरक्षा में आगरा ले जाते समय राजेश टोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गैंगवार मामले में जेल पुलिस के सिपाही सहित 15 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 17 जनवरी 2015 को मथुरा जिला कारागार में दीपक मीणा और राजेश टोटा गैंग में फायरिंग हुई थी। इस गैंगवार में राजेश टोटा, संजू और राजकुमार शर्मा घायल हुए थे, जबकि गोली लगने से अक्षय सोलंकी की मौके पर ही मौत हो गई थी .उसी रात उपचार के लिए पुलिस अभिरक्षा में आगरा ले जाते समय राजेश टोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश मेरठ के रहने वाले बृजेश मावी कि 10 सितंबर 2014 को हाथरस के रहने वाले राजेश टोटा ने अपने निर्माणाधीन मकान में योजना बनाकर हत्या कर दी थी.

पेगासस जासूसी मामले पर जांच समिति की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश, शुक्रवार को सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति रविंद्रन समिति ने उच्चतम न्यायालय में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना , न्यायमूर्ति आर सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ समिति की अंतरिम रिपोर्ट एवं अन्य जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। इसी खंडपीठ ने पिछले साल समिति की देखरेख में तकनीकी विशेषज्ञों के जांच दल का गठन किया था।

समिति द्वारा अंतरिम रिपोर्ट पेश करने की वजह से माना जाता है कि यह वह आगे की जांच के लिए अतिरिक्त समय की मांग अदालत से करेगी। खंडपीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 27 अक्टूबर 2021 को शीर्ष अदालत के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश आर वी रवींद्रन की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक समिति गठित की थी। खंडपीठ ने समिति से आठ सप्ताह में अपनी जांच पेश करने की अपेक्षा की थी।

न्यायमूर्ति रविंद्रन को सहयोग करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी आलोक जोशी तथा डॉ संदीप ओबरॉय को समिति का सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था। समिति की देखरेख में तीन सदस्यीय विशेष तकनीकी जांच दल मामले की छानबीन कर रहा है। दल में सदस्य के तौर पर प्रो. नवीन चौधरी, प्रो. अश्विनी गुमस्ते और प्रो. पी. प्रबाहरण तकनीकी पहलुओं से जांच कर रहे हैं।

प्रो. चौधरी, (साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स), डीन-नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर गुजरात), प्रो. प्रबाहरण (स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग) अमृत विश्व विद्यापीठम, अमृतपुरी, केरल और डॉ गुमस्ते, इंस्टिट्यूट चेयर एसोसिएट प्रोफेसर (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से हैं।

पेगासस मामला इजरायल की निजी कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाए गए पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर भारत सरकार द्वारा कथित तौर पर खरीदने से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस सॉफ्टवेयर को भारत समेत दुनिया भर के बड़ी संख्या में लोगों के स्मार्ट मोबाइल फोन में गुप्त तरीके से डालकर उनकी बातचीत की जासूसी की गई। याचिकाओं में भारत सरकार पर उस जासूसी सॉफ्टवेयर को खरीद कर यहां के अनेक जाने-माने राजनीतिज्ञों, खासकर विपक्षी दलों के नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों की अवैध तरीके से जासूसी करने के आरोप लगाए गए हैं।

बच्चे को गोद लेने के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं : हाईकोर्ट

ट्रान्सजेन्डर भी बच्चे को ले सकते हैं गोद

प्रयागराज(आरएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि किसी बच्चे को गोद लेने के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चे को गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है । हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 7 और धारा 8 में विवाह या विवाह पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट के इस आदेश से ट्रान्सजेन्डर महिला भी बच्चे को गोद ले सकती हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि एक बच्चे को गोद लेने के एक एकल माता-पिता एक बच्चे को हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम, 1956 के तहत गोद ले सकते हैं। यह आदेश जस्टिस डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस विवेक वर्मा की बेंच ने एक ट्रांसजेंडर महिला रीना किन्नर और उसके पति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। जिसमें उप रजिस्ट्रार, हिंदू विवाह, जिला वाराणसी से उनके विवाह को रजिस्टर्ड करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए कोर्ट से मांग की गई थी।

याची (ट्रांसजेंडर महिला) और उसके पति (लडका) ने दिसम्बर 2000 में महावीर मंदिर अर्दली बाजार, वाराणसी में शादी की। उन्होंने तब एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि बच्चे को गोद लेने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने उप-रजिस्ट्रार, हिंदू विवाह, जिला वाराणसी के यहां एक ऑनलाइन आवेदन दायर किया।

हालांकि, उनकी शादी को पंजीकृत इस कारण नहीं किया जा सका क्योंकि याची नं 1 एक ट्रांसजेंडर महिला है। नतीजतन, उन्होंने सब रजिस्ट्रार को अपनी शादी को पंजीकृत करने का निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की ताकि वे एक बच्चे को गोद ले सकें।

यद्यपि हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को 03 दिसम्बर 2021 को विवाह पंजीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के ऑनलाइन आवेदन पर विस्तृत आदेश जारी करने का निर्देश दिया। परन्तु अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चे को गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।

छात्रा की हत्या का आरोपी ट्यूशन शिक्षक गिरफ्तार

कोटा (आरएनएस)। राजस्थान के कोटा में एक छात्रा की हत्या कर फरार हुए ट्यूशन शिक्षक गौरव जैन को पुलिस ने बीती देर रात हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि कोटा से गई पुलिस ने बीती देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि करीब नौ दिन पहले कोटा के बजाजखाना में अपने घर में छात्रा की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके शव को फांसी के फंदे पर लटका कर फरार हुए गौरव जैन के गुरुग्राम में छुपे होने की पुलिस को पहले से ही आशंका थी क्योंकि उसने वहीं से बीटेक किया था और उसकी एक बहन भी वहां रहती थी। इसके आधार पर कोटा पुलिस गौरव जैन के बहन के घर के अलावा उसके कुछ पुराने सहपाठियों पर भी नजर रखे हुए थी। पुलिस के साथ साइबर सेल टीम थी जिसने कई सेल फोन नंबरों को सर्विलांस पर डाल रखा था।

सूत्रों ने बताया कि बीती रात गौरव जैन गुरुग्राम में अपने बहन के घर पहुंचा, लेकिन उस समय उसकी बहन वहां नहीं थी बल्कि अपने ससुराल टोंक आई हुई थी। गौरव जैन ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना सिर मुंडा लिया था लेकिन घर की निगरानी रख रही पुलिस टीम ने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की और स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया।

भारतीय परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए हरित वित्तपोषण महत्वपूर्ण है

नई दिल्ली (आरएनएस)। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) भारत ने सतत गतिशीलता में तेजी लाने के लिए संभावित वित्तपोषण समाधानों की पहचान करने के लिए परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।

नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई), भारत ने जीआईजेड इंडिया, के सहयोग से एनडीसी-ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया (एनडीसी-टीआईए) परियोजना के हिस्से के रूप में 'परिवहन को कार्बन मुक्त करने के लिए वित्तपोषण' पर एक वर्चुअल परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।

भारत सरकार सतत गतिशीलता को अपनाने पर विशेष ध्यान देते हुए परिवहन को कार्बन मुक्त करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्य करने योग्य रणनीतियों की पहचान करना और परिवहन को कार्बन मुक्त करने के लिए नवाचारी वित्तपोषण नीतियों को मजबूत बनाने के लिए सामूहिक रूप से काम करने के लिए वित्तीय संस्थानों और परिवहन संगठनों को एक मंच पर लाना है।

इस कार्यशाला में विभिन्न मंत्रालयों के गणमान्य व्यक्तियों, एनडीसी-टीआईए परियोजना भागीदारों, भारतीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों, परिवहन और वित्तपोषण क्षेत्रों के हितधारकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने मुख्य भाषण और जर्मनी के आर्थिक और वैश्विक मामलों के विभाग के प्रमुख और मंत्री डॉ. स्टीफन कोच ने विशेष संबोधन दिया।

अपने मुख्य भाषण में, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि हमें भारत में स्वच्छ गतिशीलता को और प्रोत्साहित करने के लिए अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है क्योंकि हमें राज्यों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, निर्माताओं और ऑपरेटरों को एक ही मंच पर लाना है। हमें ऐसे वित्तपोषण के साथ आगे आना चाहिए जो व्यापक रूप से लागू हों, स्वीकार्य हों और मुख्य रूप से टिकाऊ हों। हमें निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ और ई-बसों के लिए, जो हमारे शहरों में सार्वजनिक परिवहन का मूल है, वित्तपोषण को जुटाकर साझा गतिशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। हमारा व्यापक उद्देश्य अपने नागरिकों की जरूरतों और आकांक्षाओं को संतुलित करने, कनेक्टिविटी सुधार कर जीवन यापन और उत्पादकता को बेहतर बनाने, लॉजिस्टिक लागत को कम करने और एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाकर स्वच्छ गतिशीलता में तेजी लानी चाहिए, जो न केवल पर्यावरण की दृष्टिकोण से, बल्कि जलवायु-केंद्रित और टिकाऊ भी हो और वित्तीय दृष्टिकोण से भी उपयुक्त हो। हरित वित्तपोषण हमें विद्युत वाहनों के लिए कम ब्याज लागत वाले वित्तपोषण में भी सक्षम बनाएगा।

डॉ. स्टीफन कोच ने कहा कि भारत को परिवहन के विद्युतीकरण के लिए एक मजबूत रोडमैप की आवश्यकता है। बहु-हितधारक सहयोग के माध्यम से पूंजी को जुटाना संभव है। एनडीसी-टीआईए पहल ''परिवहन को कार्बन मुक्त बनाने के वित्तपोषण'' सहित विभिन्न विषयों पर सहकर्मी से सहकर्मी के सीखने और सूचना के आदान-प्रदान के विभिन्न विषयों में सहायता प्रदान करने के लिए भागीदारों की व्यापक श्रेणी को एक मंच पर लाती है।

डब्ल्यूआरआई इंडिया के सीईओ डॉ. ओपी अग्रवाल ने कहा कि परिवहन भारत का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जक क्षेत्र है, जिसका हमारी ऊर्जा संबंधित कार्बन डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन में 14 प्रतिशत योगदान है। यह देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र भी है इसलिए कम कार्बन वाले भविष्य की ओर बढ़ने के लिए परिवहन क्षेत्र को त्वरित रूप से कार्बन मुक्त बनाना बहुत आवश्यक होगा।